



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126046

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19572/2026

राँकी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : विजय प्रताप सिंह

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दायर पूरक शपथ पत्र अभिलेख में लिया गया।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जेपी सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 51/2026, अंतर्गत धारा 103(1), 3(5), 61(2)ए बी एन एस, पुलिस स्टेशन भोपा जिला मुजफ्फर नगर में आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम सह अभियुक्त वंदना और कोमल के इकबालिया बयान में सामने आया है। यह भी तर्क दिया गया है कि उपरोक्त के अलावा, सह अभियुक्त वंदना ने पुलिस के समक्ष यह भी स्वीकार किया है कि आवेदक ने कोमल और वंदना को कुछ नशीले पदार्थ दिए थे, जिन्हें उन्होंने अपने पिता की हत्या करने से पहले उन्हें पिलाया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.02.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने तर्क दिया है कि आवेदक और सह अभियुक्त के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे लंबे समय तक बातचीत में लगे रहे।

6. उत्तर में, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह अभियुक्त वंदना का आवेदक के साथ सहमति से संबंध था, इसलिए आवेदक और सह अभियुक्त के बीच की बातचीत सामान्य बातचीत का हिस्सा थी।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है, उसका नाम सह अभियुक्त वंदना और कोमल के इकबालिया बयान में सामने आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-आरोपी वंदना और कोमल ने अपने पिता की हत्या की है और विवेचना के दौरान सह-आरोपी वंदना ने पुलिस के समक्ष कबूल किया है कि आवेदक ने सह अभियुक्त कोमल और वंदना को कुछ नशीले पदार्थ दिए थे, जिन्हें उन्होंने अपने पिता को खिलाया और उसके बाद गला घोटकर और पेट में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और आवेदक को कोई सक्रिय भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक के पास से या उसके द्वारा बताए गए किसी भी सामान की बरामदगी नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 26.02.2026 से जेल में बंद है।

8. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और अवर न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया, में पारित निर्णय और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** जो 2024 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 6765 में रिपोर्ट किया गया, में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राँकी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. जमानत स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

13. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

14. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, मुजफ्फर नगर के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।